न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA 063 of 2015 (GCMS 00086 of 2015)

बालुराम के कायममुकाम-

1. उदाराम पुत्र बालुराम के कायममुकाम-
   1.1. दुर्गादेवी पत्नी जगदीश सांखला पुत्र उदाराम
   निवासी मथानिया, जिला जोधपुर
   1.2. सरोज पुत्री उदाराम पत्नी भजनसिंह,
   निवासी मगरा पूंजला, मण्डोर,
   जोधपुर
   1.3. लूणसिंह पुत्र उदाराम माली
   1.4. कल्याणसिंह पुत्र उदाराम माली
   1.5. शारदा पुत्री उदाराम माली पत्नी शंकरसिंह देवडा,
   निवासी मथानिया रामकुटिया, जोधपुर
2. भारतसिंह के कायममुकामान-
   2.1. प्रमोद पुत्र भारतसिंह
   2.2. विराराम पुत्र भारतसिंह
   2.3. प्रवीण पुत्र भारतसिंह
   2.4. जमना पत्नी भारतसिंह
   सभी जाति माली निवासीगण जाळवाला बेरा,
   मण्डोर, जोधपुर
   2.5. गुड्डी उर्फ ललिता पुत्री भारतसिंह पत्नी मगराज टाक,
   निवासी मथानिया, जिला जोधपुर
   2.6. सुमित्रा उर्फ बेबी पुत्री भारतसिंह पत्नी राकेश,
   निवासी मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर
3. मानसिंह पुत्र बालुराम जाति माली
   निवासी जाळवाला बेरा, मण्डोर
   जोधपुर

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
2. जोगाराम पुत्र भाणुराम के कायममुकामान-
   2.1. भंवरलाल के कायममुकामान-
   2.1.1.ढलकी पत्नी भंवरलाल फौत
   2.1.2.शंकरलाल पुत्र भंवरलाल
   2.1.3.संतोष पुत्री जोगाराम
3. गोबरराम के कायममुकामान-
   3.1. प्रेमाराम पुत्र गोबरराम
   3.2. नरसिंह पुत्र गोबरराम के कायममुकामान-
   3.2.1.प्रेमलता पत्नी नरसिंह
   3.2.2.आकाश पुत्र नरसिंह

03.01.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3.2.3.पायल पुत्री नरसिंह
निवासी ऋषिकेश नगर,
मण्डोर, जोधपुर
3.2.4.मोनिका पुत्री नरसिंह पत्नी दिलीप
निवासी बोऽडी वाला जाव, माता का थान,
मण्डोर, जोधपुर
3.3. भीखाराम के कायममुकामान-
3.3.1.राकेश पुत्र भीखाराम
3.3.2.भींवसिंह पुत्र भीखाराम
3.3.3.चेतन पुत्र भीखाराम
4. हजारीराम पुत्र भाणु के कायममुकामान-
4.1. बालकिशन पुत्र हजारीराम
4.2. उगमसिंह पुत्र हजारीराम
4.3. नेमीचंद पुत्र हजारीराम
4.4. सम्पत पुत्र हजारीराम
सभी जाति माली, निवासी जाळवाला बेरा
मण्डोर, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 17 अगस्त 2015 राजस्व प्रकरण संख्या 94/2014 बालुराम के वारिसान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री ओ.पी.राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन के वारिसान की ओर से

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 94/2014 बालुराम के वारिसान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त 2015 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

03.01.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 अगस्त 2015 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रतिवादीगण-रेस्पो. के खिलाफ आराजी खसरा संख्या 536 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सख्या 537 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 541 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा संख्या 542 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा मण्डोर द्वितीय बाबत नियमित वाद विचाराधीन रहने तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2015 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. के मध्य वादग्रस्त आराजियात का आदिनांक तक कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है और वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व खतौनी बंदोबस्त हिस्सा ए-2 मौजा मण्डोर परगना जोधपुर संवत 1992 में प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के पूर्वज भाणुजी के नाम इंद्राज हुई और तब से आदिनांक तक भाणुजी एवं उनके उत्तराधिकारियों का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, भाणुजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत उनके चार उत्तराधिकारियों जोगाराम, बालुराम, गोबरराम व हजारीराम को अधिकार अर्जित हुए। रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात से अपीलाण्ट्स को बेदखल करने पर आमदा है और निरन्तर धमकियां देते रहते है। अतः वादी-अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया और दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित

03-11-25
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है। वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, रेस्पो. मौके पर अनाधिकृत पक्का निर्माण करने बाबतं कटिबद्ध होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय वर्तमान राजस्व रिकार्ड की विस्तृत जांच के बाद वादग्रस्त आराजियात राजकीय भूमि होने और इस कारण कोई भी पक्षकार उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं होना मानते हुए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसके बाद अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने तक कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ, किन्तु फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। वादग्रस्त आराजियात बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 11 अप्रेल 2007 के द्वारा बांध-क्षेत्र में आने वाली भूमि पर निर्माण कार्य आदि की स्वीकृति नहीं दिया जाना उचित माना। जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक 1338 दिनांक 03 मई 2007 से गठित कार्यदल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार केचमेण्ट एरिया के प्लान का नक्शा आदि अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर को भिजवाते हुए प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, तहसीलदार जोधपुर, उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण को भिजवायी गयी और आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किये गये। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पत्र दिांक 23 सितम्बर 2014 आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण को जारी करते हुए अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन फण्ड जोधपुर द्वारा संलग्न सूची में खसरा संख्या 536 व 537 वाके मौजा मण्डोर को सरकारी भूमि बतलाया गया। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जो सही नहीं है। अतः आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में

03-01-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 1998(2) सीसीसी 652 की ओर आकर्षित किया।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात राजकीय भूमि दर्ज है जिसके संबंध में किसी अन्य के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

रेस्पो. संख्या तीन के वारिसान के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी गोबरराम के कब्जा-काश्त की भूमि रही है और बतौर अतिक्रमी खसरा परिवर्तनशील में गोबरराम का ही नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत दर्ज है, खसरा संख्या 536 व 537 की भूमि बाबत जोधपुर विकास प्राधिकरण आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये जा चुके है। मौके पर समस्त वादग्रस्त आराजियात का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, अपीलाण्ट्स का कोई सामलाती कब्जा नहीं है और अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात का विभाजन कराने के मुश्तहक भी नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन के अधिवक्तागण ने न्यायालय का ध्यान 1998(2) सिविल कोर्ट केसेज 652 (इलाहाबाद), 1997(1) सिविल कोर्ट केसेज 90 (सर्वोच्च न्यायालय) और 1997 (पूकर) सिविल कोर्ट केसेज 52 (पंजाब एवं हरियाणा) की नजीरें उद्धरित करते हुए अपील अपीलाण्ट् खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत नजीरों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने, पूर्व में खसरा गिरदावरी 2012-2015 में वादग्रस्त आराजियात गोबर की गैरबापीदारी की दर्ज होने तथा खसरा परिवर्तनशील संवत 2022-2028 में कब्जा हजारी पुत्र भाणु तथा गोबर पुत्र भाणु का दर्ज होने के बाद कालान्तर में खसरा संख्या 537 में आबादी विस्तार होने पर तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 01 अगस्त 2003 को

03.01.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पंजीबद्ध हो जाने आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजीरों एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या एक, जोधपुर महानगर द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 02/2018 (एनसीवी संख्या 195/2018) भीखसिंह व अन्य बनाम उदाराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 13 दिसम्बर 2023 की प्रस्तुत छायाप्रति के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है जिसमें आलौच्य अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अगस्त 2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.01.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर